भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1283
मंगलवार, 30 जुलाई, 2024/8 श्रावण, 1946 (शक) को उत्तरार्थ

सीएससी ई-गवर्नेंस सेवा के साथ समझौता ज्ञापन

1283. श्री विवेक ठाकुरः

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) को सामान्य सेवा केंद्र (सीएससीडब्ल्यू) के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए सहकारिता मंत्रालय और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच किसी समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं, यदि हां, तो उसका विवरण;
(ख) क्या ऐसे पीएसीएस का देश के ग्रामीण इलाकों में रेल और हवाई टिकट सेवाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) उक्त कदम से देश के ग्रामीण क्षेत्रों को किस प्रकार लाभ होने की संभावना है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (ख): जी हां, मान्यवर। प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स) को कॉमन सेवा केंद्रों (सीएससी) द्वारा दी जा रही 300 से भी अधिक सेवाएं जैसे कि, बैंकिंग, बीमा, स्वास्थ्य सेवाएं, कृषि सेवाएं, इत्यादि, प्रदान किए जाने हेतु सक्षम बनाने के लिए सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड तथा सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है ।

कॉमन सेवा केंद्र (सीएससी) के रूप में कार्य करने वाले पैक्स नागरिकों को सीएससी पोर्टल के माध्यम से विभिन्न ई-सेवाएं प्रदान कर सकेंगे, जिनमें निम्नलिखित भी शामिल हैं:

i. **प्रधानमंत्री कल्याण योजनाएं:** आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ई-श्रम पंजीकरण, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, आदि।
ii. **केन्द्र सरकार की सेवाएं:** आधार, पैन कार्ड, जीवन प्रमाण, पासपोर्ट, पानी व बिजली बिल भुगतान सेवाएं, आयकर विवरणी, ई-स्टाम्प, आदि।

iii. **राज्य सरकार की सेवाएं:** ई-जिला सेवाएं, जन-वितरण प्रणाली सेवाएं, नगरपालिका सेवाएं, आदि।

iv. **वित्तीय समावेशन की सेवाएं:** बैंकिंग, ऋण, बीमा, पेंशन, डिजि-पे, फास्टैग, आदि।

v. **आधार संबंधी सेवाएं:** पंजीकरण, अद्यतन, e-KYC;

vi. **कृषि सेवाएं:** सीएससी ई-एग्री पोर्टल, एग्री टेली-कंसल्टेशन और ई-पशु चिकित्सा, मृदा परीक्षण केंद्र, किसान ई-मार्ट, किसान क्रेडिट कार्ड, आदि ।

vii. **ई-मोबिलिटी और स्मार्ट प्रोडक्ट्स:** ग्रामीण ई-मोबिलिटी डीलरशिप, स्मार्ट प्रोडक्ट्स, आदि।

viii. **B2C सेवाएं:** आईआरसीटीसी/बस/हवाई टिकट बुकिंग, मोबाईल/डीटीएच रिचार्ज, ई-कॉमर्स, आदि।

ix. **अन्य सेवाएं:** स्त्री स्वाभिमान पहल, SPARSH रक्षा पेंशन, आदि।

सीएससी के डिजिटल सेवा पोर्टल में रेल और हवाई टिकट बुकिंग करने का भी प्रावधान है, जिससे सीएससी के रूप में कार्यरत पैक्स देश की ग्रामीण आबादी को इसका लाभ पहुंचा सकते हैं।

(ग): इन पहलों के माध्यम से आम नागरिक, विशेषकर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में,उपर्युक्त वर्णित सेवाओं सहित 300 से भी अधिक ई-सेवाओं का लाभ, अपने निवास स्थान के निकट ही प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उनके जीवनयापन तथा व्यवसाय की सुगमता में सुधार आएगा । इसके अलावा, ये पहलें पैक्स को आय के अतिरिक्त स्रोत प्रदान करेंगी जिससे अंतत:, उनसे जुड़े करोड़ों छोटे एवं सीमांत किसान लाभान्वित होंगे । इससे पैक्स न केवल विभिन्न नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान करने वाले नोडल केंद्रों के रूप में रूपांतरित होंगे बल्कि इससे उन्हें स्वावलंबी आर्थिक संस्थान बनने में भी मदद मिलेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर साकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ।

*****